भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1427
02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

बढ़ती इस्पात मांग को पूरा करने के लिए रणनीति और लक्ष्य

1427. डा. अशोक कुमार मित्तल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगले कुछ वर्षों में, विशिष्ट वृद्धि दरों द्वारा समर्थित, देश की इस्पात मांग में वृद्धि का अनुमान क्या है ;

(ख) अगले कुछ वर्षों में इस्पात की मांग में 10 प्रतिशत की अनुमानित वार्षिक वृद्धि को पूरा करने के लिए सरकार की रणनीति और लक्ष्य के साथ-साथ विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप और निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश के इस्पात उद्योग को विकसित करने के लिए वैश्विक बाजार में सरकार की पहल और सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात के उत्पादन की प्रकृति से संबंधित निर्णय अलग-अलग इस्पात उत्पादकों द्वारा बाजार की मांग और अन्य वाणिज्यिक सोच-विचारों के आधार पर लिए जाते हैं। इसलिए इस्पात की मांग की भविष्य में वृद्धि दर बाजार की मांग और अन्य वाणिज्यिक सोच-विचारों पर निर्भर करेगी। विगत पांच वित्त वर्षों के दौरान भारत में कुल तैयार इस्पात की मांग संबंधी आंकडे निम्नानुसार हैं और ये इन पांच वर्षों की अवधि के दौरान 6.51 % की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) को दर्शाते हैं :-

वर्ष	**कुल तैयार इस्पात मांग (एमटी)**	**सीएजीआर**
2018-19	101.29	-
2019-20	102.62	1.31
2020-21	96.20	-6.26
2021-22	113.60	18.09
2022-23	123.20	8.45
2023-24	138.83	12.69
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; एमटी= मिलियन टन		औसत सीएजीआर: 6.51%

जारी.....2/-

इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पहल की हैं:

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन ।

ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अनुमानित है।

iii. इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.07.2024 को 16 प्रक्रिया आधारित सुरक्षा दिशानिर्देश लॉन्च किए गए, जिनके परिणामस्वरूप प्रचालनों में सुरक्षित कार्य पद्धतियों को मानकीकृत करके इस्पात उद्योग को उत्पादकता वृद्धि में सहायता मिलेगी।

iv. घरेलू इस्पात उद्योग से संबंधित समस्याओं के समाधान तथा आयात की अधिक प्रभावी निगरानी के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और एसआईएमएस 2.0 को दिनांक 25.07.2024 को लॉन्च किया गया।

v. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ।

vi. इस्पात विनिर्माण जो एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है के लिए अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक सुगम बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

vii. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

viii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने तथा बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

******